

  
भारत का राजपत्र  
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 549]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 2, 2016/फाल्गुन 12, 1937

No. 549]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 2, 2016/ PHALGUNA 12, 1937

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2016

**विषय:** "इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2013" में संशोधन से संबंधित।

**का.आ. 638(अ).**—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के खंड 10 (1) (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 13 के खण्ड (च क) के अनुसरण में केन्द्र सरकार "इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकताएं) संशोधन आदेश, 2013" में पुनः निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

1. (1) इस आदेश का नाम इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) संशोधन आदेश, 2016 है।

(2) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. "इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) संशोधन

आदेश, 2013, में खंड 2 (क)1 में निम्नलिखित पैराओं को प्रतिष्ठापित किया जायेगा, अर्थात:-

कोई भी व्यक्ति न तो स्वयं न ही अपनी ओर से किसी व्यक्ति के माध्यम से भारतीय मानक ब्यूरो से विशिष्ट पंजीकरण संख्या प्राप्त करने के बाद समय - समय पर ऐसे माल के लिए वीआईएस द्वारा यथानिर्धारित विशिष्ट

मानकों का अनुपालन न करने वाले और “मानक चिह्न” न होने वाले माल का बिक्री, आयात, बेचने अथवा वितरण के लिए विनिर्माण या भंडारण नहीं करेगा :

बशर्ते कि जहाँ ब्यूरो से प्राप्त विशिष्ट पंजीकरण संख्या पहले से ही है और आयातित वस्तुओं पर चिह्न नहीं लगा है, तो ऐसी स्थिति में इस तरह के चिह्न को कस्टम से माल की निकासी के लिए भारत में स्थित संपर्क कार्यालय या शाखा कार्यालय वाली विनिर्माण इकाई के प्रतिनिधि द्वारा चिपकाया जाए :

बशर्ते यह भी कि निर्यात के लिए वस्तुओं के विनिर्माण के संबंध में यह आदेश किसी भी प्रकार से लागू नहीं होगा :

इसके अतिरिक्त, “इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) संशोधन आदेश, 2013” के खंड 2 (ए) 1 में यथा अधिसूचित अपेक्षाओं को चिह्नित करने के लिए उपलब्ध 30.06.2016 तक का संक्रमणकाल होगा :

[फा. सं. 37(1)/2013-आईपीएचडब्ल्यू(खंड-2)]

राजीव बंसल, संयुक्त सचिव

**टिप्पणी:** प्रधान आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 3 अक्टूबर, 2012 के का.आ. संख्या 2357(अ) के प्रकाशित किया गया था तत्पश्चात इसमें दिनांक 20 मार्च, 2013 का.आ. 822 (अ), 5 जुलाई, 2013 को का.आ. संख्या 2033 (अ), 5 जुलाई, 2013 को का.आ 2034 (अ), 13 नवम्बर 2014 को का.आ. 2905 (अ), 11 मई, 2015 को का.आ. 1324 (अ), 21 सितम्बर, 2015 को का.आ. 2578(अ), 21 सितम्बर, 2015 को का.आ. 2579 (अ), 03 फरवरी, 2016 को का.आ 344 (अ) तथा 03 फरवरी, 2016 को का.आ 345 (अ) के द्वारा संशोधन किया गया था ।

## MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATON TECHNOLOGY

(Department of Electronics and Information Technology)

### ORDER

New Delhi, the 10th February, 2016

**SUBJECT: Concerning Amendment of “Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Amendment Order, 2013”.**

**S.O. 638(E).**—In exercise of the power conferred by clause 10(1)(p) of Bureau of Indian Standard Act, 1986 (63 of 1986) and in pursuance of clause (fa) of the rule 13 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Central Government, hereby makes the following further amendments to the “Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Amendment Order, 2013”, namely-

1. (1) This Order may be called the “Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Amendment Order, 2016”.
- (2) It shall come in to force with immediate effect.
2. In the “Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Amendment Order, 2013”, clause 2(a)(1) shall stand substituted as follows –

No person shall by himself or through any person on his behalf manufacture or store for sale, import, sell or distribute Goods which do not conform to the Specified Standard and do not bear the “Standard Mark” as notified by BIS for such goods from time to time after obtaining the Unique Registration Number from the Bureau:

Provided that where such mark has not been affixed on the imported Goods already having unique registration number from the Bureau, such mark may be affixed by representative of the manufacturing unit having liaison office or branch office located in India, for clearance of goods from customs:

Provided further that nothing in this Order shall apply in relation to manufacture of Goods meant for export:

Further, a transition period up-to 30.06.2016 would be available for marking requirements as notified in clause 2(a)(1) of the “Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Amendment Order, 2013”.

[F. No. 37(1)/2013-IPHW(Pt.2)]

RAJIV BANSAL, Jt. Secy.

**Note:** The Principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary vide S.O. number 2357(E), dated 3<sup>rd</sup> October, 2012 and subsequently amended vide S.O. 822(E), dated 20<sup>th</sup> March 2013, S.O. 2033(E) dated 5<sup>th</sup> July 2013, S.O.2034(E) dated 5<sup>th</sup> July 2013, S.O. 2905(E) dated 13<sup>th</sup> Nov 2014, S.O. 1324(E) dated 11<sup>th</sup> May 2015, S.O. 2578(E) dated 21<sup>st</sup> Sept 2015, S.O. 2579(E) dated 21<sup>st</sup> Sept 2015, S.O. 344(E) dated 03<sup>rd</sup> Feb 2016 and S.O. 345(E) dated 03<sup>rd</sup> Feb 2016.